सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **120/2022** अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम 2. देराजराम पुत्र ठाकराराम 3. मोटाराम पुत्र आईदानराम 4. रामलाल पुत्र आईदानराम 5. जगदीश पुत्र आईदानराम 6. अणदुदेवी पत्नी आईदानराम 7. चुनीदेवी पुत्री ठाकराराम 8. विशनीदेवी पुत्री ठाकराराम 9. तुलसीदेवी पुत्री ठाकराराम जातियान जाट निवासीयान मूढणों की ढाणी, तहसील शिव, बाड़मेर		1. ठाकराराम पुत्र लुम्बाराम, जाति जाट साकिन मूढणों की ढाणी तहसील शिव जिला बाडमेर। 2. शाखा प्रबन्धक, पंजीब नेशनल बैक शाखा उण्डु।

अधिवक्तागण :– 1. वादी अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 संयुक्त हिन्दू परिवार से है। जो पूर्व पुरूष स्व0 लुम्बाराम के वशंज है। जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा वक्त सेटलमेन्ट उण्डु पटवार मण्डल उण्डु तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर कमश 77, 252, 251 रकबा कमश 85.06 बीघा, 198.09 बीघा व 0.19 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासत में मिली है। उक्त भूमि उक्त भूमि वादी संख्या 1 से 2 तथा 7 से 9 के पिता व 3 से 5 के दादा तथा वादी सख्यां 6 के श्वसुर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वक्त सेटलमेन्ट दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म लेने से उनके अधिकार जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में निहित हो चुके है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सा मुजब अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा व खसरान् के कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा वादीगण की शादियां हो जाने से वे अपने अपने परिवार सहित वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर अपने माता–पिता से अलग मकान बनाकर रहते है तथा बरसात के मौसम में अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसीलिए वादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबध में पुश्तैनी [illegible] बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकील [illegible] देवी कुमावत के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को [illegible] संख्या के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने से इंकार कर [illegible] आपत्ति जाहिर की है। उभय पक्ष की ओर से बतौर साक्ष्य अपने बयान शपथ पत्र पेश किये। [illegible] विवादीत आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वरीसान के सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से सूचना प्राप्त की गयी। मुताबिक सुचना प्रतिवादी संख्या 01 के वारीसान कमश हनुमानराम, चुनीदेवी, विशनदेवी, तुलछीदेवी, देराजराम व आईदानराम है। जिनमें से आईदानराम फौत होने से उनके पुत्र, पुत्री व पत्री कमश अणदुदेवी, मोटाराम, रामलाल, जगदीश, चन्द्रकला व नोजीकुमारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

पक्षकारान द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, खतौनी बन्दोबस्त व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी के खतौनी बन्दोबस्त ग्राम भूमि मौजा वक्त सेटलमेन्ट उण्डु पटवार मण्डल उण्डु तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 77, 252, 251 रकबा क्रमश 85.06 बीघा, 198.09 बीघा व 0.19 बीघा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति है। 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ठाकराराम वादीगण का पिता, दादा व श्वसुर है और वादीगण के अतिरिक्त ठाकराराम के अन्य पौत्रीयां चन्द्रकला व नोजीकुमारीं है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत मौजा मूढणों की ढाणी, पटवार मण्डल उण्डु तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर क्रमश 77, 252, 251 रकबा क्रमश 85.06 बीघा, 198.09 बीघा व 0.19 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी संख्या 1 से 2 व 7 से 9 प्रत्येक का 1/7 – 1/7 खातेदारी हिस्सा तथा वादी संख्या 3 से 6 प्रत्येक का 1/28 – 1/28 खातेदारी हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय से बैंक रहन अप्रभावी रहेगा। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:50 IST
Reason: SelfAttested